प्रेस नोट

दिनांक: 05.06.2026

एक पेड़ मां के नाम

पुलिस अधीक्षक गोण्डा द्वारा विश्व पर्यावरण दिवस 2026 के अवसर पर रिजर्व पुलिस लाइन स्थित ओपन जिम/चिल्ड्रेन पार्क के पास वृक्षारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का दिया गया संदेश।

आज 05 जून विश्व पर्यावरण दिवस-2026 के अवसर पर पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा रिजर्व पुलिस लाइन गोण्डा स्थित ओपन जिम/चिल्ड्रेन पार्क परिसर में वृक्षारोपण किया गया। इस अवसर पर अधिकारियों एवं कर्मचारियों को पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन हेतु अधिक से अधिक वृक्ष लगाने तथा उनके संरक्षण के लिए प्रेरित किया गया। महोदय द्वारा बताया गया कि पर्यावरण संरक्षण वर्तमान समय की सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता है। वृक्ष हमारे जीवन का आधार हैं तथा स्वच्छ वायु, जल संरक्षण, जैव विविधता एवं पर्यावरणीय संतुलन बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उन्होंने सभी उपस्थित अधिकारियों एवं कर्मचारियों से अपील की कि वे अपने जीवन में कम से कम एक पौधा अवश्य लगाएं तथा उसकी देखभाल का संकल्प लें। पर्यावरण संरक्षण केवल एक दिवस तक सीमित न रहकर हमारी दैनिक जीवनशैली का हिस्सा बनना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति द्वारा लगाया गया एक पौधा आने वाली पीढ़ियों के लिए स्वच्छ एवं सुरक्षित भविष्य का निर्माण कर सकता है।

कार्यक्रम के दौरान "एक पेड़ माँ के नाम" अभियान के अंतर्गत पौधारोपण कर समाज में पर्यावरण संरक्षण के प्रति जन-जागरूकता बढ़ाने का संदेश दिया गया। इस अभियान का उद्देश्य लोगों को अपनी माताओं के सम्मान एवं प्रकृति के संरक्षण के प्रति संवेदनशील बनाना है।

कार्यक्रम के दौरान अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री अजीत कुमार रजक, पुलिस लाइन के अधिकारीगण एवं कर्मचारीगण द्वारा भी पौधारोपण किया गया तथा पर्यावरण संरक्षण के प्रति अपनी सहभागिता सुनिश्चित करने का संकल्प लिया गया।

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट
दिनांक 05.06.2026

थाना को0 देहात पुलिस द्वारा दहेज हत्याभियुक्ता को किया गया गिरफ्तार-

कार्यवाहीः-

पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री अजीत कुमार रजक के पर्यवेक्षण, क्षेत्राधिकारी नगर श्री आनन्द कुमार राय के नेतृत्व में थाना को0 देहात पुलिस टीम द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0-370/26 धारा 85,80(2) बी0एन0एस0 व 3/4 डीपी एक्ट से सम्बन्धित एक और वांछित अभियुक्ता- ममता शुक्ला पत्नी प्रभुनाथ शुक्ला निवासी ग्राम पूरे उदई थाना कोतवाली देहात जनपद गोण्डा को उसके घर से गिरफ्तार कर लिया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

वादी अंजनी कुमार चैबे पुत्र राघवराम चैबे निवासी ग्राम भैसहा थाना कौड़िया जनपद गोण्डा द्वारा थाना को0 देहात में लिखित तहरीर दी गयी कि उनकी पुत्री ज्योति का विवाह दिनांक 18.06.2021 को राजन शुक्ला पुत्र प्रभुनाथ शुक्ला निवासी ग्राम पूरे उदई थाना कोतवाली देहात जनपद गोण्डा के साथ किया था। विवाह में अपनी सामथ्र्य अनुसार अपाची मोटरसाइकिल, ₹3,00,000 नगद, सोने की अंगूठियां, जंजीर व अन्य घरेलू सामान दिया गया था। आरोप है कि पति राजन शुक्ला, सास ममता शुक्ला, ससुर प्रभुनाथ शुक्ला तथा देवर अमन शुक्ला दहेज से संतुष्ट नहीं थे तथा अतिरिक्त दहेज में चार पहिया वाहन व दो तोला सोने की जंजीर की मांग करते हुए ज्योति को मानसिक एवं शारीरिक रूप से प्रताड़ित करते थे। दिनांक 04.05.2026 को उक्त सभी आरोपियों द्वारा दहेज की मांग को लेकर ज्योति के साथ मारपीट कर उसकी हत्या कर दी गयी है। वादी की लिखित तहरीर के आधार पर थाना को0 देहात में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया। दिनांक 18.05.2026 को आरोपी अभियुक्त राजन शुक्ला पुत्र प्रभुनाथ शुक्ला नि0 पूरे उदई थाना को0देहात जनपद गोण्डा को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। आज दिनांक 05.06.2026 को थाना को0 देहात पुलिस द्वारा एक और आरोपी अभियुक्ता ममता शुक्ला पत्नी प्रभुनाथ शुक्ला निवासी ग्राम पूरे उदई थाना कोतवाली देहात जनपद गोण्डा को उसके घर से गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्ता के विरूद्ध थाना को0 देहात पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्ता-

01. ममता शुक्ला पत्नी प्रभुनाथ शुक्ला निवासी ग्राम पूरे उदई थाना कोतवाली देहात जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग-

01. मु0अ0सं0-370/26 धारा 85,80(2) बी0एन0एस0 व 3/4 डीपी एक्ट थाना को0 देहात जनपद गोण्डा।

गिरफ्तार कर्ता टीम-

01. उ0नि0 आत्मा सिंह।
02. का0 भरत चौहान
03. म0का0 सुषमा स्वराज

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट
दिनांक 05.06.2026

ऑपरेशन साइबर कवच के दृष्टिगत साइबर थाना द्वारा पीड़ित की फ्रॉड गयी 2,37,615/- रूपये कराए गए वापस, पैसे वापस मिलने पर पीड़ित के चेहरे पर लौटी मुस्कान, पीड़ित ने गोण्डा पुलिस को किया धन्यवादः-

जनपद गोण्डा में साइबर फ्रॉड अपराध की रोकथाम के संबंध में त्वरित कार्यवाही करने हेतु पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री अजीत कुमार रजक के मार्गदर्शन में साइबर थाना टीम द्वारा पीड़ित की फ्रॉड गयी धनराशि को सम्बंधित बैंक/इंटीमेडरी से संपर्क स्थापित करते हुए धनराशि 2,37,615/- पीड़ित के खाते में वापस करायी गयी।

घटना का संक्षिप्त विवरण-वादी श्री राजेन्द्र कुमार श्रीवास्तव, निवासी मकान संख्या-2060, आवास विकास कॉलोनी, जनपद गोण्डा द्वारा शिकायत की गई कि अज्ञात साइबर अपराधियों द्वारा उनके मोबाइल फोन में एक .APK फाइल डाउनलोड कराकर अनधिकृत रूप से उनके बैंक खाते का दुरुपयोग किया गया। साइबर ठगों द्वारा वादी के खाते से धनराशि का प्रयोग करते हुए Makemytrip के माध्यम से विभिन्न 5-स्टार होटलों में ऑनलाइन बुकिंग कर दी गई थी। वादी के लिखित तहरीर के आधार पर साइबर थाना गोण्डा पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया। साइबर थाना टीम द्वारा मामले को गंभीरता से लेते हुए तत्काल आवश्यक कार्यवाही की गई। जांच के दौरान Makemytrip एवं संबंधित होटलों से समन्वय स्थापित कर साइबर अपराधियों द्वारा कराई गई सभी होटल बुकिंग को निरस्त कराया गया। तत्पश्चात वादी के खाते से अनधिकृत रूप से व्यय की गई धनराशि ₹2,37,615/- (दो लाख सैंतीस हजार छह सौ पन्द्रह रुपये) की धनराशि वापस करायी गयी। पीडित द्वारा अपने रूपये वापस पाकर प्रसन्नता जाहिर करते हुए जनपद गोण्डा पुलिस एवं साइबर थाना टीम को धन्यवाद दिया गया।
नोट- जनपद गोण्डा पुलिस आमजन से अपील करती है कि किसी भी अज्ञात व्यक्ति के कहने पर मोबाइल फोन में .APK फाइल, रिमोट एक्सेस एप्लीकेशन अथवा अन्य संदिग्ध लिंक डाउनलोड न करें। लोगो को साइबर ठगों से सावधान रहने की जरुरत है। किसी भी अनजान फोन कॉल पर अपनी बैंक डिटेल, ओ0टी0पी0, बायोमैट्रिक डेटा, पैन कार्ड व आधार कार्ड की डिटेल किसी के साथ साझा न करें। किसी भी प्रकार की साइबर धोखाधड़ी या फ्रॉड ट्रांजेक्सन होने पर तत्काल अपने बैंक एवं थाना पर गठित साइबर सेल को सूचना दें एवं साइबर हेल्पलाइन 1930 पर तत्काल शिकायत दर्ज कराएँ।

साइबर सुरक्षा टिप्स-

01. ऑनलाइन लेन-देन में सावधानी बरतें
02. किसी भी अनजान फोन कॉल पर अपनी बैंक डिटेल, ओटीपी, बायोमैट्रिक डेटा, पैन कार्ड व आधार कार्ड की डिटेल किसी के साथ साझा न करें।
03. सोशल मीडिया पर व्यक्तिगत जानकारी साझा न करें।
04. अनजान लिंक्स पर क्लिक न करें।
05. अपने डिवाइस को सुरक्षित रखें।
06. ऑनलाइन शॉपिंग में सुरक्षित वेबसाइट्स का उपयोग करें।
07. पासवर्ड को मजबूत और गुप्त रखें।
08. ऑनलाइन गतिविधियों पर निगरानी रखें।
09. साइबर बुलिंग और साइबर स्टॉकिंग के मामलों में तुरंत पुलिस को सूचित करें।
10. ऑनलाइन उत्पीड़न के मामलों में कंपनी प्रबंधन और पुलिस को सूचित करें

मीडिया सेल, गोण्डा।